Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSM09

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

1. सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण का अवधारणात्मक विवेचन 5-22
2. भारत में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण हेतु गठित तंत्र, विधि, संस्थाएँ और निकाय 23-72
3. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु तंत्र, विधि, संस्थाएँ और संवैधानिक निकाय 73-120
4. भारत में श्रमिकों के संरक्षण हेतु तंत्र, विधि, संस्थाएँ और संवैधानिक निकाय 121-141
5. नि:शक्तजनों के संरक्षण हेतु निर्मित तंत्र, विधि, संस्थाएँ और निकाय 142-163
6. भारत में अन्य असुरक्षित समूहों के संरक्षण हेतु तंत्र, विधि, संस्थाएँ एवं निकाय 164-182
7. सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय 183-201
8. विकास, रणनीति और चुनौतियाँ 202-228
9. स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधी विषय 229-266
10. भूख, निर्धनता व विकास से संबंधित मुद्दे 267-286

अध्याय
1

सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण का अवधारणात्मक विवेचन (Conceptual Interpretation of Social Justice & Social Welfare)

1.1 सामाजिक न्याय का अवधारणात्मक विवेचन
1.2 सामाजिक कल्याण का अवधारणात्मक विवेचन
1.3 असुरक्षित, हाशिये पर स्थित एवं उपेक्षित समूह/ समुदाय
1.4 भारत में असुरक्षित, हाशिये पर स्थित तथा उपेक्षित समूह
1.5 हाशिये पर स्थित समूहों के समक्ष असुरक्षा (प्रमुख समुदाय)

1.1 सामाजिक न्याय का अवधारणात्मक विवेचन *(Conceptual Interpretation of Social Justice)*

सामाजिक न्याय का सिद्धांत *(Principle of Social Justice)*

'सामाजिक न्याय' शब्द का प्रयोग पहली बार 1840 में इटली के एक पादरी लुइगी तपारेली द' एज़ेग्लिओ (Luigi Taparelli d'Azeglio) द्वारा किया गया था, जबकि इस शब्द को पहचान 1848 में एंटोनियो रोस्मिनी सरबाली (Antonio Rosmini Serbali) ने दिलाई। आधुनिक काल में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने 'सामाजिक न्याय' को एक प्रमुख अवधारणा बना दिया है, साथ ही वर्तमान लोक-कल्याणकारी राज्य का मूल लक्ष्य भी 'सामाजिक न्याय' की स्थापना करना ही है। सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ न्यूनतम हों, समाज 'समावेशी' हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच प्राथमिकता को लेकर विवाद रहा है। 20वीं सदी में 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा के तीव्र विकास के साथ ही उपरोक्त दोनों मूल्यों में व्याप्त भिन्नता और भी अधिक स्पष्ट हुई है। अतः एक ओर, जहाँ पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने अपनी संवैधानिक योजना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता दी, वहीं दूसरी ओर, समाजवादी देशों ने सामाजिक न्याय को सर्वप्रमुख माना। जबकि, समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने प्रमुखतया उदारवादी लोकतंत्र को अपनाते हुए 'सामाजिक न्याय व व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के मध्य बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया है। भारतीय राजव्यवस्था में उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ समाजवादी आदर्शों को भी अपनाया गया है और इसे ध्यान में रखते हुए ही संविधान की प्रस्तावना में 'सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय' का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय' में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग IV में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है।

'सामाजिक न्याय' शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमज़ोर, वृद्धों, दीन-हीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा वंचितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत एक विषमतामूलक समाज के 'सर्वसमावेशी समाज' के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है।

असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की असुरक्षा
(Vulnerability of Labourers in Unorganized or Informal Sector)

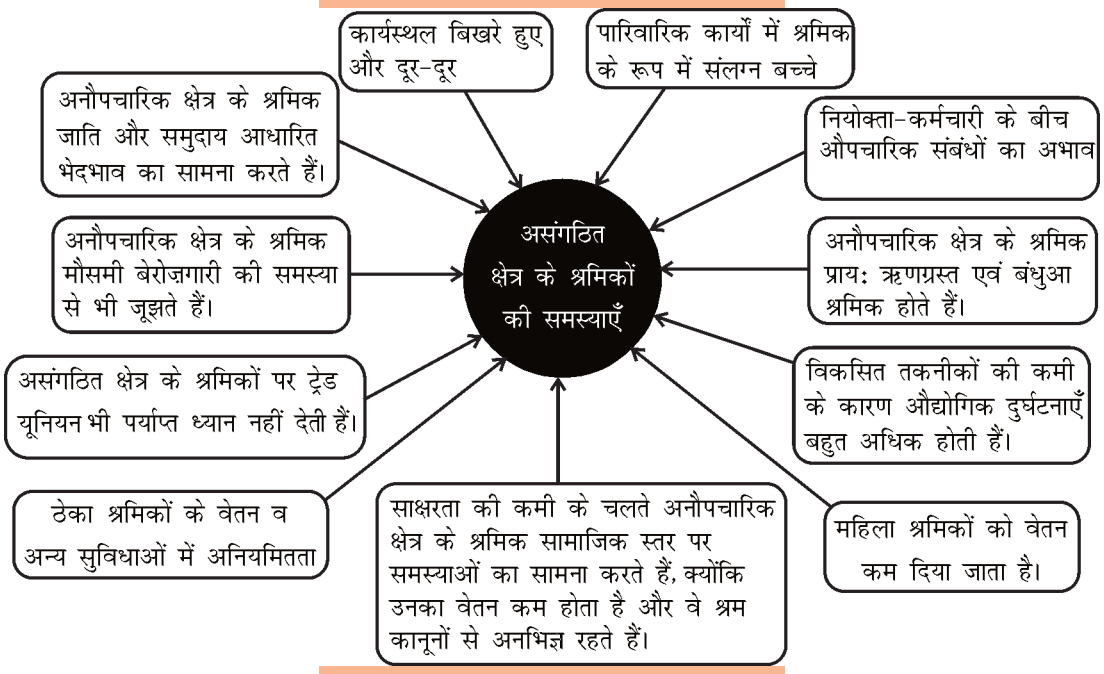

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. सुभेद्य वर्गों के लिये क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिये। **UPSC (Mains) 2019**
2. सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिये।
3. 'एक कल्याणकारी राज्य' से आपका क्या अभिप्राय है? क्या भारत एक कल्याणकारी राज्य है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये।
4. भारत में असुरक्षित, हाशिये पर स्थित और उपेक्षित समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनका वर्गीकरण कीजिये।

अध्याय
2

भारत में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण हेतु गठित तंत्र, विधि, संस्थाएँ और निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Bodies Constituted for the Protection of Women & Children in India)

2.1 भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएँ एवं उनके लिये महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान
2.2 भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रमुख कानून एवं विधायन
2.3 भारत में महिलाओं के कल्याण हेतु अन्य महत्त्वपूर्ण कानून एवं विधायन
2.4 भारत में महिला अधिकारों की निगरानी के लिये एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ
2.5 महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाएँ
2.6 महिलाओं की सुरक्षा हेतु कुछ नई महत्त्वपूर्ण पहलें
2.7 भारत में बच्चों की असुरक्षा एवं उनके संरक्षण हेतु तंत्र, कानून व संस्थाएँ
2.8 भारत में बच्चों के कल्याण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
2.9 भारत में बच्चों के संरक्षण के लिये विधियाँ एवं विधायन
2.10 भारत में बच्चों के संरक्षण हेतु अन्य महत्त्वपूर्ण कानून और विधायन
2.11 भारत में बाल कल्याण तथा बाल अधिकारों की निगरानी करने वाली एजेंसियाँ तथा संस्थाएँ
2.12 बच्चों के कल्याण संबंधी योजनाएँ

2.1 भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएँ एवं उनके लिये महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान *(Women as Vulnerable Group in Indian Society and Important Constitutional Provisions for Them)*

महिला सशक्तीकरण मुख्यतया तीन कारकों से निर्धारित होता है; उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान तथा महत्ता। ये कारक परस्पर अंतर्संबंधित हैं। जब ये तीनों कारक एक साथ सुसंगत होकर इस दिशा में कार्य करें, केवल तभी सही अर्थों में महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिये महिलाओं का समग्र रूप से सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिये उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों का प्रभावी समेकन अत्यावश्यक है। एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की महत्ता को संविधान द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथ ही संविधान द्वारा न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए उनके राजनीतिक अधिकारों एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।

असुरक्षित समुदायों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाएँ दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं; एक तो महिला होने के कारण तथा दूसरा पिछड़े समुदाय से संबंधित होने के कारण। इसी तरह एक नि:शक्त पुरुष के मुकाबले एक नि:शक्त महिला की कई विशिष्ट समस्याएँ होती हैं। हिंसा एवं यौन दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार एवं बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को बिल्कुल भिन्न, लेकिन विशिष्ट पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता होती है। किशोर लड़कियाँ

अध्याय
3

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु तंत्र, विधि, संस्थाएँ और संवैधानिक निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Constitutional Bodies for the Protection of SCs and STs, OBCs & Minorities)

3.1 भारत में अनुसूचित जातियाँ एवं उनके कल्याण हेतु संवैधानिक रक्षोपाय और अन्य प्रावधान
3.2 भारत में अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक रक्षोपायों की निगरानी के लिये संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ
3.3 अनुसूचित जातियों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ
3.4 भारत में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण छात्रवृत्तियाँ
3.5 भारत में अनुसूचित जनजातियाँ एवं उनके कल्याण हेतु संवैधानिक संरक्षण एवं प्रावधान
3.6 भारत में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिये विधि और विधायन
3.7 भारत में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की निगरानी हेतु संवैधानिक निकाय
3.8 अनुसूचित जनजातियों के उत्थान/विकास हेतु अन्य प्रयास
3.9 अनुसूचित जनजाति के लिये कल्याणकारी योजनाएँ
3.10 वर्तमान परिदृश्य: अनुसूचित जाति एवं जनजाति
3.11 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास एवं कल्याण बोर्ड
3.12 अन्य पिछड़े वर्गों के संरक्षण हेतु तंत्र, कानून, संस्थाएँ, संवैधानिक निकाय एवं कल्याणकारी योजनाएँ
3.13 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सकारात्मक कदम
3.14 अल्पसंख्यकों का कल्याण
3.15 अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्यक्रम

3.1 भारत में अनुसूचित जातियाँ एवं उनके कल्याण हेतु संवैधानिक रक्षोपाय और अन्य प्रावधान *(Scheduled Castes in India and Constitutional Safeguards & Other Provisions for their Welfare)*

ये वे लोग हैं, जो अंतिम वर्ण जिन्हें 'शूद्र' अथवा 'अवर्ण' या 'अंत्यज' कहा गया है, के अंतर्गत आते हैं। 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम से यह अस्तित्व में आया। 1935 से पहले इन्हें 'अस्पृश्य' अथवा निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार थे। 'अस्पृश्य' कही जाने वाली इन जातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग (Depressed Class) शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों- हिंदू, जनजातीय एवं शोषित वर्ग में बाँटने का सुझाव दिया। 1931 में अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में 'शोषित वर्ग' का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति' करने का प्रस्ताव रखा। 1935 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को अपना लिया गया, ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

अध्याय
4

भारत में श्रमिकों के संरक्षण हेतु तंत्र, विधि, संस्थाएँ और संवैधानिक निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Constitutional Bodies for the Protection of Labourers in India)

4.1 भारत में श्रमिक
4.2 भारत में श्रमिकों के प्रकार
4.3 भारत में श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान
4.4 श्रमिक कल्याण हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण कानून एवं विधायन
4.5 श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रमुख योजनाएँ
4.6 भारत में बाल श्रम और बाल श्रमिकों के लिये मुख्य कानून एवं विधायन
4.7 महिला श्रमिकों के लिये मुख्य कानून एवं विधायन
4.8 बंधुआ श्रमिकों हेतु कानून और विधायन
4.9 श्रमिकों के कल्याण की निगरानी करने वाली एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ

4.1 भारत में श्रमिक *(Labourers in India)*

18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था में कारखाना श्रमिकों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति की उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी और श्रम उत्पादन के प्रमुख कारक थे। परिणामस्वरूप निजी अर्थव्यवस्था में उत्पादनकर्त्ताओं और कामगारों का उदय हुआ। जहाँ तक समाज के कल्याण का प्रश्न था, कामगारों के लिये श्रम के मानकों का पालन करना आवश्यक था और श्रम मानकों के अनुसार ही उन्हें कल्याण सुविधाएँ उपलब्ध करानी थीं। अत: 1919 में 'वर्साय की संधि' के अधीन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना हुई। ILO के अनुसार संपूर्ण विश्व में श्रमिकों/कामगारों की बेहतरी हेतु कार्य के आयाम इस प्रकार हैं-

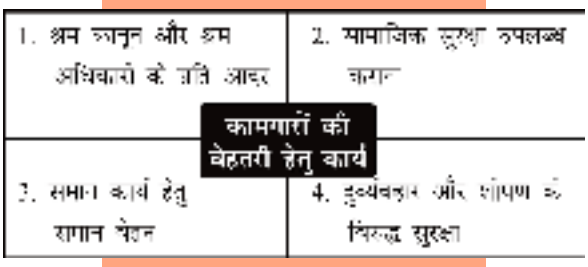

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा करते हैं। इन मानकों के अंतर्गत सहयोग की स्वतंत्रता, समान कार्य हेतु समान वेतन, सुरक्षित कार्य दशाएँ, बलात् श्रम और लिंग भेद की समाप्ति, रोज़गार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, प्रवासी कामगारों का संरक्षण, महिला कामगारों के यौन शोषण का उन्मूलन आदि प्रावधान आते हैं।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सबसे मज़बूत नींव उस देश के श्रमिक होते हैं, अर्थात् श्रमशक्ति ही अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। भारत के स्वतंत्र होते ही सरकार ने जिन प्रमुख कार्यों की ओर ध्यान दिया, उनमें से एक महत्त्वपूर्ण कार्य श्रमिकों का कल्याण करना था। श्रमिकों की सुरक्षा का प्रश्न अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि देश में रोज़गार एवं कौशल में वृद्धि हुई है, परंतु यह वृद्धि अस्थायी प्रकृति की है। सरकार द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान किये गए हैं, परंतु इतने विधायनों और प्रावधानों के उपरांत भी श्रमिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अध्याय
5

नि:शक्तजनों के संरक्षण हेतु निर्मित तंत्र, विधि, संस्थाएँ और निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Bodies Constituted for the Protection of Disabled Persons)

5.1 परिचय
5.2 भारत में नि:शक्तजनों की वर्तमान स्थिति
5.3 नि:शक्तता के कारण
5.4 भारत में सबसे असुरक्षित नि:शक्त
5.5 भारत में नि:शक्तजनों द्वारा झेली जाने वाली प्रताड़ना और विभेद
5.6 भारत में नि:शक्तजनों की समस्याएँ
5.7 नि:शक्तजनों की स्थिति में सुधार हेतु कुछ सुझाव
5.8 भारत में नि:शक्तजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान
5.9 भारत में नि:शक्तजनों की बेहतरी व संरक्षण हेतु कानून एवं विधायन
5.10 नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कुछ योजनाएँ
5.11 भारत में नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु एजेंसियाँ और संस्थान
5.12 भारत में मानसिक रोगी

5.1 परिचय *(Introduction)*

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या किसी-न-किसी रूप की नि:शक्तता या शारीरिक दुर्बलता से प्रभावित है। जिनमें से 2-4% को कामकाज में महत्त्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नि:शक्तता शब्द के कई अर्थ हैं। हालाँकि मोटे तौर पर नि:शक्तता स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत है। स्वास्थ्य को इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों, जैसे- गतिशीलता, पहचानने, सुनने, बोलने एवं देखने की कार्यक्षमता की संकल्पना (विश्व स्वास्थ्य संगठन-2004) के रूप में समझा जा सकता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, बुढ़ापा, उम्र बढ़ने तथा गंभीर बीमारियों के उभरने से नि:शक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। नि:शक्तता की गंभीरता के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका प्रभाव कुल जनसंख्या के 1.5 से 2.13 प्रतिशत के बीच है।

विकलांग से दिव्यांग *(Viklang to Divyang)*

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक ज़ोर देने के लिये 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक् डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। हालाँकि दिसंबर 2014 को इस विभाग का नाम बदलकर 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' कर दिया गया। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विकलाँग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने की अपील की थी। जिसका निम्न कारणों से प्रमुख नि:शक्तजन आधारित संगठनों ने विरोध किया था:

- विरोध के पीछे का तर्क बताया जा रहा कि 'दिव्यांग' कह देने भर से उनके साथ होने वाला भेदभाव कम नहीं होगा जिसे वर्षों से दिव्यांग अपने जीवन में सहते आए हैं।
- सरकार को कलंक व भेदभाव के मुद्दे उठाने चाहियें, क्योंकि दिव्यांगजन अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावी तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हैं।

अध्याय
6

भारत में अन्य असुरक्षित समूहों के संरक्षण हेतु तंत्र, विधि, संस्थाएँ एवं निकाय (Mechanism, Laws, Institutions and Bodies for the Protection of Other Vulnerable Groups in India)

6.1 प्रवासी कामगार
6.2 प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण हेतु कानून एवं विधान
6.3 सेक्स वर्कर्स के साथ होने वाले भेदभाव
6.4 भारत में एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर) समूह के साथ होने वाले भेदभाव
6.5 भारत में एचआईवी/एड्स रोगियों के साथ भेदभाव एवं असुरक्षा
6.6 भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिक समूह
6.7 मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन रोकथाम

6.1 प्रवासी कामगार *(Migrant Workers)*

प्रवासी कामगारों के साथ प्रवास के दौरान सभी स्तरों पर विविध प्रकार का शोषण होने के कारण वे असुरक्षित होते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण प्रवास का प्रभाव भी अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। लगभग 232 मिलियन लोग, विश्व की जनसंख्या का 3.1%, अपने जन्म-स्थान से बाहर के देशों में रह रहे हैं। इस प्रवासी समूह में (3.1%) महिला प्रवासियों की संख्या लगभग आधी है। यह ज्ञात किया गया है कि प्रत्येक 8 प्रवासियों में से 1 प्रवासी 15-24 वर्ष के बीच से होता है। ('अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के अनुसार) पुरुष, महिलाएँ, बच्चे, किशोर और परिवार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लाँघ रहे हैं, ताकि उनकी जीवन की दशाएँ सुधर सकें और कभी-कभी इसलिये कि उनका अस्तित्व बचा रहे। 1975 से वर्तमान के बीच आर्थिक विषमताओं, जनांकिकीय बदलाव, नागरिक युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

WEF (विश्व आर्थिक मंच) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक भारत में जन्मे 15.6 मिलियन लोग दूसरे देशों में रह रहे थे। विदेश मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार विदेश प्रवासन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। प्रवासन की यह प्रक्रिया अंतर्राज्यीय स्तर पर भी काफी महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के मुताबिक देश में लगभग 60 मिलियन अंतर्राज्यीय प्रवासी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया अधिक दिखती है। हालाँकि भारत ने श्रम अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करके एक प्रशंसनीय काम किया है और साथ ही इस संबंध में भारतीय श्रम कानून भी पर्याप्त हैं, परंतु प्रमुख समस्या मौजूदा कानूनों और नियमों को लागू करने के स्तर पर है। भारत विशेषत: वंचित समुदाय के कामगारों के अधिकारों की निगरानी, श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार और कार्यस्थल पर विभेद जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। विभिन्न अवसंरचनात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों और अन्य विकासपरक योजनाओं के उद्भव के साथ-साथ कामगारों और श्रमिकों का बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय प्रवसन भी हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) के 64वें दौर के अनुसार भारत में श्रमिकों के प्रवास हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं-

- क्षेत्रों के बीच आर्थिक विषमता।
- रोज़गार के बहुत ही कम अवसरों की उपलब्धता।
- प्राकृतिक आपदाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में घटता निवेश।
- शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की अधिक मांग।
- विकास प्रेरित विस्थापन।
- समुदायों में संघर्ष की स्थिति।

अध्याय
7

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय
(Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors & Issues Arising out of their Design and Implementation)

7.1 भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याण हेतु नीतिगत प्रयास 7.2 सामाजिक सहायता के लिये प्रमुख योजनाएँ

7.1 भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याण हेतु नीतिगत प्रयास *(Policy Initiatives for Social Justice and Welfare in India)*

भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याण की दिशा में किये गए नीतिगत प्रयासों को समझने से पहले हमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औपनिवेशिक शासन की कार्यप्रणालियों को समझना आवश्यक है। भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य आर्थिक शोषण एवं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं, जैसे कि सामुदायिक एकता, राष्ट्रीय चेतना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य नागरिक अधिकारों की मांग को कमज़ोर करना था। अपने औपनिवेशिक हितों (आर्थिक शोषण) को साधने के लिये ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक तत्त्वों को बढ़ावा दिया और इसीलिये विभिन्न नीतिगत प्रयासों के माध्यम से भारत के सांप्रदायिक सौहार्द्र को तोड़ने का प्रयास किया गया। यद्यपि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में सामाजिक सुधार के रूप में कुछ वैधानिक प्रयास भी किये गए-

- 1833 ई. के चार्टर एक्ट के तहत जाति एवं वर्ण के आधार पर सरकारी नियोजन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया।
- 1833 ई. के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई।
- वर्ष 1829 के सती निषेध अधिनियम (Sati Abolition Act, 1829) के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया।
- वर्ष 1830 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया गया।
- गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 ई. के अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा का अंत किया गया।
- गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा का दमन करने के लिये कैंपबेल की नियुक्ति की।
- 1854 ई. का शिक्षा पर चार्ल्स वुड का घोषणा-पत्र, शिक्षा में सुधार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना गया, जिसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से दिये जाने पर बल दिया गया, लेकिन साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्त्व दिया गया। इसी तरह हंटर शिक्षा आयोग (1882-83) में भी सिफारिश की गई थी कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर ध्यान दे तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त कार्रवाइयों से स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में सामाजिक सुधार का संबंध केवल कुछ कुरीतियों एवं कुप्रथाओं पर रोक लगाने तक ही सीमित था, जबकि सामाजिक कल्याण एवं सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास करना कभी भी ब्रिटिश शासन की प्राथमिकता नहीं रही। इसी कारण, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में लैंगिक भेदभाव, समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ असमान व्यवहार, निरक्षरता जैसी सामाजिक समस्याएँ नियमित रूप से

अध्याय
8

विकास, रणनीति और चुनौतियाँ
(Development, Strategy and Challenges)

8.1 परिचय
8.2 विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग
8.3 विकास के स्वरूप
8.4 गैर-सरकारी संगठन
8.5 स्वयं-सहायता समूह व विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका
8.6 लोकोपकारी संगठनों की भूमिका
8.7 दानकर्त्ताओं की भूमिका
8.8 सहकारी समितियाँ

8.1 परिचय *(Introduction)*

'विकास' की अवधारणा मूलत: उस अवस्थिति की द्योतक है, जो अपनी पूर्ववर्ती अवस्था से उच्चतर व प्रभावी होती है और प्राय: सुस्पष्ट रूप से प्रगतिशीलता एवं क्रमिकता को इंगित करती है। 'विकास' की अवधारणा के संबंध में सर्वप्रमुख तथ्य यह है कि इसे किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यापक रूप में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी, सभी क्षेत्रों से गहरे रूप में जुड़ा होता है। साथ-ही-साथ निश्चित रूप से एक क्षेत्र में हुआ विकास अन्य सभी क्षेत्रों को भी निरंतर प्रभावित करता है। प्रचलित अर्थों में विकास को मूलत: अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द माना जाता है और व्यापक अर्थों में विकास की चर्चा प्राय: आर्थिक विकास की रणनीति पर ही केंद्रित होती है। वर्तमान में यह पूर्णत: स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का मूल आधार किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि है; यद्यपि यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि परस्पर पृथक् अवधारणाएँ हैं-

- आर्थिक विकास, आर्थिक संवृद्धि से व्यापक अवधारणा है।
- आर्थिक संवृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन स्पष्ट होते हैं जबकि आर्थिक विकास में गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन निहित होते हैं।
- आर्थिक संवृद्धि मूलत: वस्तुनिष्ठ अवधारणा है जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है।
- आर्थिक संवृद्धि जहाँ संख्यात्मक आँकड़ों का प्रदर्शन है, वहीं आर्थिक विकास व्यापक रूप में संस्थाओं में परिवर्तन, शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि आदि से स्पष्ट होता है।

विकास के इन्हीं तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज-व्यवस्था द्वारा अपनी आर्थिक रणनीति व विकास प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज-व्यवस्था में 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' मॉडल को अपनाया गया; 'समाजवादी समाज' की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया और विकास के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने (गांधीजी की शब्दावली) व प्रत्येक व्यक्ति को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने के प्रयास किये गए और स्पष्ट शब्दों में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 'समावेशी विकास' का लक्ष्य घोषित किया गया।

1991 में बदली परिस्थितियों के अनुरूप जब भारतीय अर्थव्यवस्था में 'निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण' (LPG) की रणनीति अपनाई गई तब एक वर्ग द्वारा यह आक्षेप किया गया कि वर्तमान रणनीति, निजी हितों के प्रोत्साहन की रणनीति मात्र है और अब समाजवादी विकास, समानता, निर्धनता उन्मूलन को द्वितीयक बना दिया गया है किंतु वास्तविक रूप में यह निष्कर्ष तथ्यों के पूर्णत: अनुरूप नहीं था। उल्लेखनीय है कि भारतीय राज्य का यह कदम एक रणनीति व परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल था तथा इसे केवल एक साधन के रूप में अपनाया गया था जबकि 'समाजवादी समाज' तत्त्व भी राज्य के साध्य के रूप में बना हुआ था और तीव्र विकास से प्राप्त लाभों का वितरण विभिन्न विकास योजनाओं, रोज़गार कार्यक्रमों, महिला व बाल विकास कार्यक्रमों आदि के माध्यम से किया गया था। निर्धनता उन्मूलन, कुपोषण समाप्ति, संसाधनों का

अध्याय
9

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधी विषय
(Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services Related to Health, Education, Human Resources)

9.1 परिचय
9.2 सामाजिक क्षेत्रक
9.3 भारत में सामाजिक क्षेत्रक/सेवाओं की नीति
9.4 स्वास्थ्य क्षेत्र
9.5 मानव संसाधन
9.6 नवाचार
9.7 भारत में दक्षता अथवा कौशल विकास व नवाचार विकास पर महत्त्वपूर्ण योजनाएँ, कार्यक्रम एवं रिपोर्ट
9.8 शिक्षा

9.1 परिचय *(Introduction)*

कुछ समय से विकास की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और सामाजिक विकास ने विकास की विचारधारा में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस नई विचारधारा का संबंध मुख्यत: 1995 में कोपेनहेगन में संपन्न हुए 'सामाजिक विकास पर शिखर सम्मेलन' तथा इसमें स्वीकार की गए उद्घोषणा एवं कार्यक्रमों से है। 1995 के कोपेनहेगन उद्घोषणा ने इस बात की नींव रखी कि समाज, सामाजिक सुदृढ़ता (Social solidarity), सामाजिक पूंजी, सामाजिक न्याय और सामाजिक हित विकास प्रक्रिया के अनिवार्य साझीदार होने चाहिये। वस्तुत: विकास का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति व समाज के हित में कार्य करना है। निर्धनता, बेरोज़गारी, लैंगिक विभेद, निरक्षरता और बीमारियों पर नियंत्रण अथवा उनमें कमी किये बिना विकास प्रक्रिया को 'समावेशी' व 'समतामूलक' नहीं बनाया जा सकता। इसलिये स्थिर, सुरक्षित व न्यायपूर्ण समाज को विकसित करने के लिये कोपेनहेगन उद्घोषणा में निम्नांकित वचनबद्धताओं पर बल दिया गया है–

- प्रत्येक देश द्वारा एक लक्षित तिथि निर्धारित करके निर्धनता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना।
- एक बुनियादी नीतिगत लक्ष्य के रूप में रोज़गार को पूर्ण रूप से बढ़ावा देना।
- सभी मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन पर आधारित सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- महिलाओं व पुरुषों के मध्य समानता व समता (Equity) की उपलब्धि अर्जित करना।
- अफ्रीका व अल्प विकसित देशों के विकास को गति प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों' में सामाजिक विकास लक्ष्य भी शामिल हों।
- सामाजिक विकास के लिये आवंटित संसाधनों में वृद्धि करना।
- एक ऐसा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व वैधानिक पर्यावरण निर्मित करना, जो लोगों को सामाजिक विकास की उपलब्धि में सहायता करे।
- शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक व समतामूलक पहुँच के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़रिये सामाजिक विकास के लिये सहयोग को मज़बूती देना।

यदि उपरोक्त लक्ष्यों का विश्लेषण करें तो निष्कर्ष निकलता है कि विकास एकपक्षीय प्रक्रिया नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सकारात्मक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। ऐसे हस्तक्षेपकर्त्ताओं में राष्ट्रों की सरकारें, विभिन्न प्रशासनिक तंत्र, जनता, मीडिया व सिविल सोसाइटी संगठन व उनसे संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल हैं।

अध्याय
10

भूख, निर्धनता व विकास से संबंधित मुद्दे
(Issues Related to Hunger, Poverty and Development)

10.1 कुपोषण
10.2 भारत में बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की रणनीति
10.3 भारत में भूख
10.4 भारत में भुखमरी की स्थिति से निपटने से संबंधित कार्यक्रम/योजनाएँ
10.5 खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार
10.6 सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011

10.1 कुपोषण *(Malnutrition)*

कुपोषण एक ऐसी अवस्था या दशा है जो एक साथ कई गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा करती है। इसे सामान्यतया बच्चे अथवा वयस्क के वज़न, शारीरिक व मानसिक वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का मानना है कि एक कुपोषित व्यक्ति का शरीर सामान्य क्रियाकलाप करने (विशेषकर वृद्धि के संदर्भ में) में कठिनाई महसूस करता है और रोगों को रोक पाने में सक्षम नहीं होता। कुपोषण की स्थिति में शारीरिक कार्य करने में समस्या आती है, साथ ही सीखने की क्षमता (Learning Abilities) घटती जाती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मानव स्वास्थ्य के लिये आवश्यक कुछ अथवा सभी पोषक तत्त्वों के अभाव की स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया था और फिल्म अभिनेता आमिर खान ने भी इस संदर्भ में 'कुपोषण भारत छोड़ो' अभियान शुरू किया था। कुपोषण पर जारी 'हंगामा' रिपोर्ट भारत में कुपोषण की भयावहता को प्रकट करती है। कुपोषण मुख्यतया दो रूपों में देखा जाता है। प्रथम, प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण व द्वितीय, सूक्ष्मपोषक (Micro Nutrient) जिसमें विटामिन व खनिज की कमी से होने वाला कुपोषण शामिल है।

कुपोषण के कारण *(Causes of Malnutrition)*

विश्व बैंक कुपोषण के अंतरपीढ़ीय चक्र (Intergenerational Cycle) की बात करता है। विश्व बैंक का मानना है कि कुपोषण के लिये कई कारण ज़िम्मेदार हैं। इसमें अनुपयुक्त खान-पान (Inappropriate Feeding) व अपर्याप्त देखभाल शामिल हैं। बच्चों के जन्म के आरंभिक वर्षों खासकर 2 से 3 वर्षों के मध्य उन्हें जिस प्रकार का आहार, दुग्धपान, टीकाकरण, देखभाल की ज़रूरत होती है, उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक अनदेखी की जाती है। अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले इलाकों में अत्यधिक खराब स्वच्छता की दशा (Poor Hygiene Level) बच्चों में विभिन्न संक्रामक बीमारियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। गंदगी की स्थिति से जो कुछ अल्प-पोषक तत्त्व शरीर को प्राप्त होते हैं उनका शारीरिक व मानसिक विकास में कोई खास स्थान नहीं रह जाता। दूषित जल व दूषित भोजन अनेक विकारों को उत्पन्न करने में सहायक होता है जिससे क्रमिक रूप से बच्चों का स्वास्थ्य गिरता रहता है। विश्व बैंक का मानना है कि अधिकांश नई माताएँ किशोरियाँ होती हैं जिनमें से 75 प्रतिशत रक्ताल्पता (खून की कमी) की समस्या से पीड़ित होती हैं।

कुपोषण के प्रभाव *(Effects of Malnutrition)*

- शरीर को आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
- बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही है। स्त्रियों में रक्ताल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक कि अंधापन भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596